



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007

संदर्भ संख्या :/संबद्धता/2019

दिनांक :

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या:-3/2019/4/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 14.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये:-

"समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-325/26-3-2019, दिनांक 22.01.2019 के क्रम में कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002 का-19टी.सी.-II दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिए तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के प्रस्तर-(ख) (iii) में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित/जारी किया जायेगा।"

अतः उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.03.2019 एवं संलग्न प्रारूप-I व प्रारूप-II संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रारूप-I व प्रारूप-II पर तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित कर अपने स्तर से छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पूर्व निर्धारित सीटों के सापेक्ष 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाए जाने की स्वीकृति मा० कुलपति महोदय द्वारा प्रदान कर दी गई है, जिन पर मात्र इसी श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश किया जायेगा।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : R/964

दिनांक : 07/06/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मा० श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय यजमान, लखनऊ।
4. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेंटर, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रबन्धक, समस्त सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ।

(Signature)

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक.....

वित्तीय वर्ष के लिए गान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-